



कार्यालय पुलिस थाना महेश्वर जिला खरगोन म. प्र.

(Email ID- psmaheshwar@gmail.com)

दिनांक- 01.11.2023

जावक क्रमांक -/थाना महेश्वर/2023

प्रति,

जनसंपर्क अधिकारी महोदय
कार्यालय पुणे शहर पोलिस
(महाराष्ट्र)

विषय - अपराध क्रमांक 507/2021 अपराध धारा 420,467,468,471 IPC एवं 66 (घ) IT Act में फरार आरोपी तुषार मुनौत पिता श्री अशोक मुनौत निवासी ई-1104, शांतिनगर सोसायटी, कोंढवा पुणे (महाराष्ट्र) का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन के संबंध में।

महोदय,

विषयकित लेख है कि थाना महेश्वर जिला खरगोन पर आरोपी मेसर्स ऋतु इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर आरोपी तुषार मुनौत पिता श्री अशोक मुनौत निवासी ई-1104, शांतिनगर सोसायटी, कोंढवा पुणे महाराष्ट्र व्दारा इंडियन बैंक, डेवकरन जिमखाना, पुणे की सभी 19 बैंक ग्यारंटियां एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुम्बई की 02 बैंक ग्यारंटिया ऐसी कुल 21 फर्जी बैंक ग्यारंटियों की कुल राशि 5,37,32,000 रुपये फर्जी मेल आईडी से सत्यापन तथा दोनों पैकेजों में मोबिलाईजेशन एवं मशीनरी अग्रिम हेतु कुल राशि 3,04,45,000 रुपये की मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण से अग्रिम प्राप्त कर वित्तीय लाभ ले कर शासन के धन का दुरुपयोग कर शासन के साथ धोखाधड़ी करने के संबंध में शिकायत आवेदन पत्र से अपराध क्रमांक 507/2021 धारा- 420,467,468,471 IPC एवं 66 (घ) IT Act का पजिबद्ध कर अनुसंधान में हैं आरोपी मेसर्स ऋतु इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर तुषार मुनौत पिता अशोक मुनौत निवासी पूणे का वर्तमान में फरार चल रहा है। जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक महोदय खरगोन व्दारा 10 हजार रुपये नगद का इनाम घोषित किया गया है तथा जे एम एफ सी न्यायालय महेश्वर से धारा 82 जा.फो. के अंतर्गत उघोषणा आदेश जारी किया गया है। जिसके विरुद्ध धारा 83 जा.फो. (कुर्की) की कार्यवाही प्रतापित है।

अतः आरोपी मेसर्स ऋतु इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर तुषार मुनौत पिता श्री अशोक मुनौत निवासी ई-1104, शांतिनगर सोसायटी, कोंढवा पुणे महाराष्ट्र का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करने की कृपा करें।

सगलन 01. इनाम घोषित पत्र छायाप्रति 01 -

02. धारा 82 जा.फो. पत्र छायाप्रति - 01

Signature

थाना प्रभारी

थाना महेश्वर जिला खरगोन